नियम एवं शर्तेंः–

30 सितम्बर, 2021 को कार्यकारिणी एवं संस्था के सभी सदस्यों के सुझावों के अनुसार एलुमिनाई संस्था द्वारा छात्रावास परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता के लिए **सामान्य मानदंड** का निर्धारण किया गया है।

- एलुमिनाई संस्था द्वारा, एलुमिनाई के सदस्यों या छात्रावास में अध्ययनरत भाइयों की **आकस्मिक दुर्घटना, मृत्यु** या **विपरीत परिस्थितियों के कारण पढ़ाई जारी न रख पाने की परिस्थितियों में** आर्थिक सहायता का प्रावधान किया जा सकता है। इस समय में अधिकतम निष्पक्षतावाद के साथ निर्णय लेने के लिए निम्न सुझाव प्रस्तावित किए जा रहे हैं।

पारिवारिक और आर्थिक मानदंड :–

1. पात्र छात्रावासी के माता–पिता या भाई–बहिन सरकारी सेवा में कार्यरत न हो।
2. पात्र छात्रावासी के माता–पिता या भाई–बहिन का कोई निजी व्यवसाय न हो।
3. पात्र छात्रावासी अनाथ हो।
4. पात्र छात्रावासी के पास 5 बीघा सिंचित या 10 बीघा असिंचित भूमि से कम भूमि हो।
5. पात्र छात्रावासी के परिवार के पास घर के अलावा फ्लेट, प्लाट, व्यवसायिक भूमि न हो।
6. पात्र छात्रावासी को मुआवजा, बीमा राशि, सरकारी सहायता राशि मिलने पर कमेटी आर्थिक सहयोग पर निर्णय करेगी।
7. पात्र छात्रावासी की **सहायता प्रोत्साहक और रिफंडेबल** होगी। छात्रावासी का जॉब लगने पर सहायता राशि एलुमिनाई संस्था को वापस करनी होगी ताकि भविष्य में दूसरे छात्रों की मदद की जा सके।
8. पात्र छात्रावासी की के लिए **प्रारंभिक प्रस्ताव संबंधित बैच** द्वारा किया जाएगा और बैच कॉर्डेनेटर के माध्यम से कमेटी को भेज जाएगा जिस पर अंतिम निर्णय एलुमिनाई संस्था द्वारा किया जाएगा।
9. एलुमिनाई संस्था इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने से पहले आवश्यक जानकारी जुटाएगे और छानबीन करेगी और इसके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से पात्र छात्रावासी के गांव जाकर की विस्तृत जानकारी जुटाई जा सकती है।

10. आर्थिक सहायता की राशि के संबंध में एलुमनाई संस्था द्वारा विभिन्न पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय किया जाएगा जो सर्वमान्य होगा।

11. छात्रावास के स्तर पर आर्थिक सहयोग के लिए अलग से कोई मिशन नहीं चलेगा परंतु गांव में या उसके दोस्तों द्वारा चलाए गए मिशन में सहयोग करने के लिए सभी स्वतंत्र होंगे और किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा।

12. इनके अतिरिक्त वे सभी नियम और शर्तें जो संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाएय इस विषय पर लागू होगी।

मीना छात्रावास एवं अध्ययन केन्द्र एलुमिनाई संस्था

जयपुर